राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 23.05.2026

पहली बार 'मल्टी पोस्ट एस 3 मॉडल ईवीएम' से होगा नगरपालिका/पंचायत चुनाव; आयोग का 25 मई 2026 से त्रि-दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। आगामी जून-जुलाई माह में प्रस्तावित नगरपालिका/पंचायत निर्वाचन, 2026 में पहली बार अत्याधुनिक 'मल्टी पोस्ट एस 3 मॉडल ईवीएम' (Multi Post S3 EVM) का प्रयोग किया जाएगा। इस नवाचार तकनीक के माध्यम से मतदाता एक ही समय में विभिन्न पदों के लिए सुगमता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया में अभूतपूर्व पारदर्शिता और गति आएगी।

उक्त नई और उन्नत वोटिंग तकनीक के सफल संचालन तथा जिला स्तर के अधिकारियों व मास्टर ट्रेनर्स की तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में एक विशेष त्रि-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

दिनांक 25.05.2026 से 27.05.2026 तक आयोजित होने वाले इस उच्च स्तरीय प्रशिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद के वरिष्ठ अभियंताओं द्वारा तकनीकी बारीकियों और संचालन का व्यावहारिक एवं हस्तांतरित (Hand On) प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

जन-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की मुख्य रूपरेखा:

- **मतदाताओं की सहूलियत के लिए नई तकनीक:** 'मल्टी पोस्ट एस 3 मॉडल ईवीएम' अपनी उन्नत सुरक्षा विशेषताओं (Advanced Security Features) और त्वरित गणना क्षमता के लिए जानी जाती है। आम जनता को इस नई प्रणाली से परिचित कराने से पहले चुनावी मशीनरी को पूरी तरह दक्ष बनाया जा रहा है।
- **लक्षित जिले एवं नगर निकाय:** प्रथम चरण के इस तकनीकी प्रशिक्षण में 5 जिलों–**पटना, पूर्वी चम्पारण, औरंगाबाद, सारण एवं सिवान** के चिन्हित नगर परिषदों और नगर पंचायतों के संभावित निर्वाची पदाधिकारी (RO) तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स हिस्सा लेंगे।

जागरूकता और प्रशिक्षण अभियान

आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि इस विशेष सत्र में प्रशिक्षित होने वाले जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर अपने-अपने क्षेत्रों में लौटकर अन्य मास्टर ट्रेनर्स और उसके बाद मतदान कर्मियों (Polling Personnel) को इस नई एस 3 ईवीएम का गहन प्रशिक्षण देंगे। इसके साथ ही, आयोग में प्रतिनियुक्त सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों (BPROs) को भी इस प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है ताकि वे भविष्य में कुशल प्रशिक्षक के रूप में काम कर सकें।

प्रशासनिक क्रियान्वयन

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नई तकनीक के प्रयोग और प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आयोग ने चिन्हित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों-सह-जिला पदाधिकारियों को तय समय-सारणी के अनुसार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का आदेश दिया है। आयोग का उद्देश्य न सिर्फ चुनाव कर्मियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, बल्कि इस नई व्यवस्था को लेकर आम मतदाताओं के बीच भी जागरूकता बढ़ाना है ताकि आगामी नगरपालिका/पंचायत चुनाव पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटिहीन तरीके से संपन्न हो सकें।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार